भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 196

(जिसका उत्तर मंगलवार, 25 नवम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>फाइनेंशल टेक्नॉलाजीज़ (इंडिया) लि. तथा नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एन.एस.ई.एल.) का विलय</u>

196. श्री धीरज प्रसाद साहू :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फाइनेंशल टेक्नॉलाजीज़ (इंडिया) लि. (एफ.टी.आई.एल.) और नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लि. (एन.एस.ई.एल.) के विलय के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख) : मंत्रालय ने दिनांक 21.10.2014 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के तहत आवश्यक जनहित में एनएसईएल के एफटीआईएल के साथ विलय/समामेलन का केवल एक मसौदा आदेश जारी किया है। मसौदा आदेश पर हितधारकों की आपत्तियों/सुझावों, जिसके लिए उन्हें दो माह का समय दिया गया है, पर विचार करने के बाद, यदि आवश्यक हुआ तो, अंतिम आदेश जारी किया जाएगा।

*****